न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1047–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–4–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 63/2000–01/निगरानी

.....

लालजीराम पुत्र छननू काछी
निवासी ग्राम तिन स्थाई
तहसील व जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–पिस्ताबाई पत्नी फेरनसिंह
निवासी ग्राम म्याना
तहसील व जिला गुना म0प्र0
2–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तिन्सयाई की भूमि सर्वे कमांक

235 रकबा 1.129 हेक्टेयर पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने की मॉग की गई । तहसीलदार कार्यवाही की जाकर दिनांक 14–8–1992 को अनावेदिका कमांक 1 को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला गुना के समक्ष शिकायत की गई जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दोनों पक्ष की विधिवत् सुनवाई कर तथा साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 7–12–2000 को स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–4–2001 को आदेश पारित अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई और तहसीलदार को यह निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक को तत्समय प्रवृत्त दर के अनुसार नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराया जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझने में भूल की गई है क्योंकि आवेदक ही विवादित भूमि का एकमात्र भूमिस्वामी और आधिपत्यधारी है, उसने किसी भी व्यक्ति अर्थात् अनावेदिका कमांक 1 के साथ न तो कोई लिखित या मौखिक अनुबंध किया और न ही करने की इच्छा की है, क्योंकि अनुबंध की मुख्य बात यह होती है कि अनुबंध किसी शर्त के अनुसार हुआ करता है जिसमें लेना और देना स्वीकार किया जाता है, जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार का न तो कोई अनुबंध हुआ है और न ही किया गया है इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार नहीं कर वैधानिक भूल की है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदिका से किसी भी तरह का कोई अनुबंध नहीं किया गया बल्कि अनावेदिका के पति द्वारा आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है जो विधि की दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे फर्जी हस्ताक्षर को आधार बनाकर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौरूसी काश्तकार के

रूप में एक वर्ष की प्रविष्टि से निरन्तर कब्जा होने का अनुमान नहीं किया जा सकता है और ऐसी प्रविष्टि के आधार पर मौरूसी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना यह प्रमाणित हुये कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से कब्जा है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार देने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्वप्ररेणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा केवल इस आधार पर कि शासन को आर्थिक हानि की पूर्ति करने के लिये अनावेदिका कमांक 1 द्वारा सहमति दी गई है, अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को निरस्त किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2001 निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर